

क्रमांक. 91/2015

लेखराज vs राहुनला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/10/20	पत्रावली पेश हुई वकील उमयपका उपाधी वकील वादी को कही अवसर दिये जाने के बाद वकील उमयपका पेश नहीं किया। अतः 100 रु. की कोर्ट फी एवं कोर्ट फायर खर्च पेश करने हेतु दिये गये गारंटी प्रतिवादी को 8 व 9 की तलबी जारी होने पर पत्रावली दिनांक 29/11/20 को पेश होगी।
27/11/2020	पत्रावली पेश हुई वकील उमयपका उपाधी वकील वादी को पूर्व कोर्ट 100/- रुपये असापेक्ष व युगः 50/- रुपये कोर्ट पर तलवाने सम्मग पेश करने हेतु कही अवसर और दिनांक 7-1-2021 को पेश होगी।
7/1/2021	पत्रावली पेश हुई / युकरण में वाद्वार आवाज लगाई गई वकील वादी व वकील प्रतिवादी में कोई उपारब्ध नहीं आये। युगः वकील वादी व वकील प्रतिवादी को वाद्वार आवाज लगाई गई। कोई उपारब्ध नहीं आये। वकील वादी को तलवाने सम्मग पेश करने हेतु कही अवसर दिये जाने व कोर्ट पर अवसर दिये जाने के बाद भी तलवाने पेश नहीं किये गये। लगभग तलवाना पेश करने हेतु 22 अवसर दिये जाये व कोर्ट पर अवसर दिये जाने के पश्चात् भी तलवाना सम्मग पेश नहीं किये। अतः युकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत धारा 148 के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित है। अतः कोर्ट पर अवसर दिये जाने के पश्चात् भी तलवाना सम्मग पेश नहीं किये गये। अतः कोर्ट पर अवसर दिये जाने के पश्चात् भी तलवाना सम्मग पेश नहीं किये गये। अतः कोर्ट पर अवसर दिये जाने के पश्चात् भी तलवाना सम्मग पेश नहीं किये गये।

अधीनस्थ क्लर्क
दौसा